अध्याय
15

संविधान का निर्माण
एक नए युग की शुरुआत

एक नए युग की शुरुआत

भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। स्वतंत्रता के समय भारत न केवल एक विशाल और विविधता पूर्ण बल्कि गहरे तौर पर बिखरा हुआ देश भी था। ऐसे में देश की एकजुटता और प्रगति के लिए एक विस्तृत गहन विचार विमर्श पर आधारित और सावधानीपूर्वक सूत्रबध किया गया संविधान की आवश्यकता थी। भारत के संविधान को दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच सूत्रबध किया गया।

चित्र 15.1
दिसंबर 1949 में तीन साल तक चली बहस के बाद संविधान पर हस्ताक्षर किए गए।

संविधान निर्माण के पूर्व की स्थितियां

- संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन 1895 के स्वराज विधेयक में होते हैं जिसे बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था।
- 1922 में महात्मा गांधी, 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू, 1934 में जवाहर लाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए।
- 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि भारत का संविधान निर्माण स्वयं भारतवासी ही करेंगे।

© JCERT not to be republished

JEPC Reference Book for Free Distribution : 2022-23

संविधान सभा का गठन

- कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ई. में किया गया था। (कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स,पैथिक लोरेंस तथा ए. वीं. अलेक्जेंडर थे।)
- संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे।
- कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए जिन्हें विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया।
- इसमें कांग्रेस के 208 मुस्लिम लीग के, 73 सदस्य एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए।

नोट - हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे।

सविधान सभा का कार्यक्रम

- 9 दिसंबर 1946 ई. को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में हुई।
- डॉ.सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थाई अध्यक्ष चुना गया, संविधान सभा की इस बैठक में 210 सदस्य उपस्थित थे।
- 11 दिसंबर 1946 ई. की बैठक में डॉ. राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थाई अध्यक्ष चुना गया।
- बी. एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया।
- 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत "उद्देश्य प्रस्ताव" द्वारा संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।
- 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स् वींकृति के बाद संविधान सभा में संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की गई।

© JCERT not to be republished

सविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष

- संचालन समिति =
  - डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- संघीय संविधान समिति =
  - पं. जवाहरलाल नेहरू
- प्रांतीय संविधान समिति =
  - सरदार वल्लभभाई पटेल
- प्रारूप समिति =
  - डॉ. भीमराव अंबेडकर
- संघ शक्ति समिति =
  - पं.जवाहरलाल नेहरू
- राष्ट्रध्वज समिति।
  - जे. बी. कृपलानी
- मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति
  - सरदार वल्लभ भाई पटेल

नोट- मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की दो उप समितियां थी-

(a) मौलिक अधिकार उप समिति-जे . वीं. कृपलानी

(b) अल्पसंख्यक उप समिति - एच.सी. मुखर्जी

© JCERT not to be republished

JEPC Reference Book for Free Distribution : 2022-23

संविधान सभा के प्रमुख सदस्य

संविधान सभा में 300 सदस्य थे जिन्होंने अपनी-अपनी भूमिकाएं निभाई, इन 300 सदस्यों में से 6 सदस्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी।

6 महत्वपूर्ण सदस्य थे-

- पं. जवाहरलाल नेहरू
- सरदार वल्लभ भाई पटेल,
- डॉ.राजेंद्र प्रसाद
- डॉ. भीमराव अंबेडकर,
- के.एम. मुंशी
- अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर।

गुजरात के वकील के. एम. मुंशी एवं मद्रास के वकील अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर डॉ. बी. आर. अंबेडकर के प्रमुख सहयोगी थे।

बेनेगल एन. राव एवं एस.एन. मुखर्जी ने संविधान निर्माण के कार्य में इन 6 सदस्यों को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया।

महिला सदस्यों में श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती हंसा मेहता और श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख महिलाएं थी।

© JCERT not to be republished

अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग

मद्रास के पोकर बहादुर अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचिका चाहते थे।

किंतु संविधान सभा के अधिकांश सदस्य पृथक निर्वाचिका को बनाए रखने के पक्ष में नहीं थे

राष्ट्रवादियों का विचार था कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था ब्रिटिश प्रशासन की एक चाल थी जिसके द्वारा वह भारतीय जनता को विभक्त करना चाहते थे।

दलित (दमित) जातियों के अधिकारो की मांग

- सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान डॉ.भीमराव अंबेडकर ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी।
- इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड की घोषणा द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के साथ-साथ दलितों के लिए भी काउंसिल में अलग से स्थान सुरक्षित कर दिए गए थे।
- महात्मा गांधी ने इस निर्णय के विरोध में आमरण अनशनकरने का निर्णय किया।
- 26 सितंबर 1932 को हरिजनों के नेता डॉ. भीमराव अंबेडकर तथा महात्मा गांधी के मध्य पुना समझौता हुआ जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया।
- संविधान सभा के सुझाव -
- अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया जाए
- हिंदू मंदिरों के द्वार बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लिए खोल दिए जाएं
- विधायिका एवं सरकारी नौकरियों में निचली जातियों को आरक्षण प्रदान किया जाए।

राज्य की शक्तियां

- केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन के लिए तीन सूचियां बनाई गई संघ सूची या केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
- **संघ सूची** में वे विषय रखे गए जो राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिनके बारे में देश भर में एक समान नीति होना आवश्यक है जैसे- प्रतिरक्षा, विदेश नीति, डाक, तार व टेलीफोन,रेल,मुद्रा बीमा व विदेशी व्यापार इत्यादि, इस सूची में कुल 97 विषय थे वर्तमान में 100 विषय हैं।
- **राज्य सूची** में प्रादेशिक महत्व के विषय सम्मिलित किए गए थे जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया राज्य सूची के प्रमुख विषय हैं कृषि, पुलिस, जेल, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सिंचाई एवं मालगुजारी इत्यादि इन विषयों की संख्या 66 थी जो वर्तमान में 61है।
- **समवर्ती सूची** के विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं परंतु किसी विषय पर यदि संसद और राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानूनों में विरोध होता है तो संसद द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होंगे इस सूची के प्रमुख विषय हैं बिजली,विवाह, कानून मूल्य नियंत्रण, समाचार पत्र, छापेखाने, दीवानी कानून शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आदि, इस सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं।

© JCERT not to be republished

राज्यों को अधिक अधिकार दिए जाने की मांग

- संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने राज्यों को अधिक अधिकार दिए जाने की मांग की।
- मद्रास के सदस्य के. संतनम ने कहा तमाम शक्तियां केंद्र को सौंप देने से वह मजबूत हो जाएगा यह एक भ्रम है। राज्यों को अधिक अधिकार दिए जाने से केंद्र का बोझ कम होगा तथा व अधिक कुशलता से अपने कार्यों को पूरा कर पाएगा।
- मैसूर के सर ए. रामास्वामी मुदालियर ने 21 अगस्त 1947 की बहस में केंद्र की अपेक्षा राज्यों को अधिक अधिकार दिए जाने का समर्थन किया।

शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता

- सविधान सभा के कुछ सदस्यों ने देश की समृद्धि के लिए केंद्र का शक्तिशाली होना आवश्यक बताया।
- डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि वह एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो केंद्र बनाया था उस से भी ज्यादा शक्तिशाली केंद्र चाहते हैं।
- गोपालास्वामी अय्यर ने भी केंद्र के ज्यादा से ज्यादा मजबूत होने का समर्थन किया था।
- संयुक्त प्रांत के सदस्य बालकृष्ण शर्मा के अनुसार देश हित में योजना निर्माण देश के संसाधनों का नियोजन एक उचित शासन व्यवस्था तथा देश की बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा के लिए शक्तिशाली केंद्र होना जरूरी है।
- राष्ट्रवादीयों के अनुसार अर्थव्यवस्था पर अंकुश लगाने तथा आर्थिक विकास एवं देश की सुरक्षा के लिए केंद्र का शक्तिशाली होना आवश्यक है।

भारतीय संविधान में केंद्र की ओर शक्तियों का झुकाव अधिक किया गया इसी कारण राज्यों की तुलना में संविधान में केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान की गई है।

© JCERT not to be republished

राष्ट्र की भाषा

भारत भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल देश है सांस्कृतिक दृष्टि से भी विभिन्नताएं विद्यमान है यहां पर विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग निवास करते हैं जब समस्त देश एकता के सूत्र में बंध रहा हो तो इसके लिए एक राष्ट्रभाषा का होना आवश्यक था।

हिंदुस्तानी भाषा एक ऐसी ही भाषा थी जो हिंदी तथा उर्दू के शब्दों से मिलकर बनी थी तथा भारतीय जनता का एक बड़ा वर्ग इस भाषा का प्रयोग करता था।

महात्मा गांधी को लगता था कि यह बहु सांस्कृतिक भाषा विविध समुदायों के बीच संचार की आदर्श भाषा हो सकती है यह हिंदू और मुसलमानों को उत्तर और दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती है।

सांप्रदायिक टकराव के कारण हिंदी तथा उर्दू एक दूसरे से दूर होती चली गई सांप्रदायिकता के कारण भाषा भी धार्मिक पहचान की राजनीति का अंग बन गई तथा महात्मा गांधी का हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का स्वपन साकार नहीं हो सका।

हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव

हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग संविधान सभा में सर्वप्रथम संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य आर. वीं. धूलेकर ने की थी।

हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने पर आशंकाएं

महाराष्ट्र की सदस्य श्रीमती जी. दुर्गाबाई ने बताया कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज्यादा है विरोधियों का यह मानना है कि हिंदी के लिए हो रहा प्रचार प्रांतीय भाषाओं के जड़े खोदने का प्रयास है।

हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के संबंध में मुंबई के एक सदस्य श्री शंकरराव देव, मद्रास के श्री टी.ए. रामलिंगम तथा राहुल सांकृत्यायन ने भी आशंकाएं व्यक्त की।

संविधान सभा के भाषा समिति की रिपोर्ट

संविधान सभा की भाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी, भारत की राजकीय भाषा होगी, आगामी 15 वर्षों तक सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, प्रत्येक प्रांत को अपने सरकारी कार्यों के लिए किसी एक क्षेत्रीय भाषा के चुनाव का अधिकार होगा।

संविधान सभा की भाषा समिति ने विभिन्न पक्षों की भावनाओं को संतुष्ट करने तथा एक राष्ट्रभाषा के सर्व स् वींकृत समाधान प्रस्तुत करने के उद्देश्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा के स्थान पर राजभाषा घोषित किया।

© JCERT not to be republished

JEPC Reference Book for Free Distribution : 2022-23

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

- संविधान सभा में कई विषयों पर व्यापक वाद विवाद तथा बहस हुई वहीं कुछ विषय ऐसे भी थे जिन पर संविधान सभा में लगभग आम सहमति थी इन्हीं में से एक विषय प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक को मताधिकार देने का था।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में मताधिकार सबसे पहले केवल संपत्ति वाले पुरुष उसके बाद पढ़े-लिखे पुरुष और उसके बाद श्रमिक एवं कृषक वर्ग के पुरुषों को दिया गया था महिलाएं लंबे संघर्ष के बाद ही मताधिकार प्राप्त कर सकी थी।
- भारत की संविधान सभा ने सभी वयस्क भारतीय नागरिकों को बिना लिंग, धर्म, जाति, संपत्ति तथा भाषा के भेदभाव के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया।

भारतीय संविधान की विशेषताएं

- यह लिखित, निर्मित एवं विश्व का विशालतम संविधान है।
- संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक,पंथनिरपेक्ष एवं समाजवादी गणराज्य की स्थापना की बात कही गई है।
- संविधान द्वारा भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है।
- राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है।
- नागरिकों के मूल अधिकार एवं कर्तव्य को दिया गया है।
- भारतीय संविधान लचीलापन एवं कठोरता का अद्भुत मिश्रण है।
- वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है।
- एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है।
- स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है।
- भारत के लिए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई है।

© JCERT not to be republished

स्मरणीय तथ्य

1. संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष, 11 महीना और 18 दिन लगे संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुए।

2. संविधान को 26 नवंबर 1949 ई. को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया एवं 26 जनवरी 1950 ई.को लागू किया गया।

3. संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं।

प्रश्नावली

1. उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था?

उत्तर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया उद्देश्य प्रस्ताव में निम्न महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया गया

1. संविधान सभा यह घोषणा करती है कि इसका उद्देश्य व संकल्प भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना है जिसके भावीं शासन के लिए संविधान का निर्माण करना है।

2. ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों व देशी रियासतों को तथा बाहर के सभी क्षेत्रों जो स्वतंत्र एवं सम प्रभुसत्ता संपन्न भारत में मिलना चाहते हैं को मिलाकर भारत देश का गठन किया जाएगा।

3. सभी क्षेत्र अपनी वर्तमान सीमाओं सहित संविधान सभा द्वारा निर्धारित की गई सीमा में या भविष्य में परिवर्तित सीमा में स्वतंत्र इकाई होंगे।

4. भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक, न्याय, प्रतिष्ठा, धर्म, उपासना विधि के समक्ष समानता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विश्वास एवं कार्य की स्वतंत्रता होगी।

5. भारतीय संघ की स्वतंत्रता एवं प्रभुसत्ता का समस्त स्रोत भारत की जनता है।

6. भारतीय गणतंत्र के राज्य क्षेत्रों की अखंडता एवं उनके जल, स्थल एवं वायु क्षेत्र के प्रभुत्व संपन्नता एवं स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी।

7. प्राचीन देश भारत ने विश्व में सदैव समुचित तथा सम्मानित स्थान प्राप्त किया है हम इसके सम्मान की रक्षा करेंगे।

8. हम सभी भारतवासी विश्व में शांति बनाए रखने तथा मानव जाति के कल्याणकारी कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

उद्देश्य प्रस्ताव के कथनों पर 8 दिन तक विस्तार पूर्वक विचार किया गया 22 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया।

2. विभिन्न समूह अल्पसंख्यक शब्द को किस तरह परिभाषित कर रहे थे?

उत्तर विभिन्न समूहों ने अल्पसंख्यक शब्द को अलग तरह से परिभाषित किया है

1. कुछ लोग मुसलमानों को अल्पसंख्यक कह रहे थे तथा उनके अनुसार भारत में मुसलमानों की संख्या बहु संख्यक हिंदुओं के अनुपात में काफी कम है इसलिए वही अल्पसंख्यक हैं।

2. कुछ लोग सिख धर्म के अनुयायियों को अल्पसंख्यक बता रहे थे तथा उन्हें अल्पसंख्यकों की सुविधा देने की मांग कर रहे थे।

© JCERT not to be republished

JEPC Reference Book for Free Distribution : 2022-23

3. कुछ लोगों ने दलितों को वास्तविक अल्पसंख्यक बताया दलितों के प्रतिनिध खंडेलकर के अनुसार दलित ही हैं जिन्हें हजारों सालों से दबाया या कुचला गया है।

4. कुछ लोग आदिवासी लोगों को सही अल्पसंख्यक बता रहे थे आदिवासी समूह के प्रतिनिधि जयपाल सिंह ने कहा कि भारत में कोई ऐसा समूह जिसके साथ हजारों वर्षों से उचित व्यवहार नहीं हुआ है तो वह आदिवासी समूह ही है जो 6000 वर्षों से अपमानित और अपेक्षित किया जाता रहा है।

5. मद्रास के.पी. पोकर बहादुर ने संविधान सभा में अल्पसंख्यकों को अलग से निर्वाचिका देने के बजाय संयुक्त निर्वाचन देने की वकालत की पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने भी अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचित का विरोध किया।

3. प्रांतों के लिए ज्यादा शक्तियों के पक्ष में क्या तर्क दिए गए?

उत्तर संविधान सभा के कुछ सदस्य केंद्र को शक्तिशाली बनाने के समर्थक थे, जबकि कुछ अन्य सदस्य प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों के पक्ष में थे ऐसे सदस्य द्वारा प्रांतों को अधिक शक्तियां दिए जाने के पक्ष में कई महत्वपूर्ण तर्क दिए।

संविधान में तीन सूची को बनाया गया केंद्र सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची।

केंद्र सूची के विषय पर केंद्र सरकार तथा राज्य सूची के विषय सिर्फ राज्य सरकारों के अधीन होने थे समवर्ती सूची के विषय में केंद्र तथा राज्य दोनों को संयुक्त जिम्मेदारी प्रदान की गई थी।

मद्रास के सदस्य के. संथानम ने राज्य के अधिकारों की पुरजोर वकालत की उन्होंने न केवल प्रांतों बल्कि केंद्र को भी शक्तिशाली बनाने के लिए शक्तियों के पुन: वितरण की आवश्यकता पर बल दिया। के. संथानम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह दलिल देना कि संपूर्ण शक्तियां केंद्र को सौंप देने से वह शक्तिशाली हो जाएगा केवल एक गलतफहमी है संथानम का तर्क था कि शक्तियों का वितरण विशेष रूप से राजकोषीय प्रावधान प्रांतों को पंगु बनाने वाला था। इसके अनुसार भू राजस्व के अतिरिक्त अधिकार केंद्र सरकार के अधिकार में थे इस प्रकार धन के अभाव में राज्यों में विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करना संभव नहीं था। प्रांतों को अधिक शक्तियां दिए जाने के पक्ष में के. संथानम का तर्क था कि केंद्रीय नियंत्रण में बहुत अधिक विषयों को रखे जाने तथा बिना सोचे समझे शक्तियों के प्रस्तावित वितरण को लागू किए जाने के परिणाम अधिक हानिकारक होंगे। इसके परिणाम स्वरूप कुछ वर्षों में सारे प्रांत केंद्र के विरुद्ध विद्रोह पर उतारू हो जाएंगे। मैसूर के सर ए. रामास्वामी मुदालियर भी प्रांतों को अधिक शक्तियां दिए जाने के पक्ष में थे ऐसे कई तर्क थे जो प्रांतों को ज्यादा शक्तियां दिए जाने के पक्ष में थे।

4. महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए?

उत्तर महात्मा गांधी को लगता था कि यह बहुत सांस्कृतिक भाषा विविध समुदायों के बीच संचार के आदर्श भाषा हो सकती है वह हिंदू तथा मुसलमानों को उत्तर और दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती है परंतु 19 वीं सदी के आखिर से एक भाषा के रूप में हिंदुस्तानी धीरे-धीरे बदल रही थी। जैसे-जैसे सांप्रदायिक टकराव गहरे होते जा रहे थे। हिंदू और उर्दू एक दूसरे से दूर जा रही थी। एक तरफ तो फारसी और अरबी मूल के सारे शब्दों को हटाकर हिंदी को संस्कृत बनाने की कोशिश की जा रही थी दूसरी तरफ उर्दू लगातार फारसी के नजदीक होती जा रही थी, परिणाम स्वरूप भाषा भी धार्मिक पहचान की राजनीति का हिस्सा बन गई,

not to be republished © JCERT

लेकिन हिंदुस्तान के साझा चरित्र में महात्मा गांधी की आस्था कम नहीं हुई।

5. वह कौन सी ऐतिहासिक ताकतें थी जिन्होंने संविधान का स्वरूप तय किया?

उत्तर बहुत सी ऐतिहासिक ताकतों ने संविधान का स्वरूप तय किया जो इस प्रकार है

सविधान में जिस प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया गया उस पर राष्ट्रीय आंदोलन की गहरी छाप है राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस में अनेक विचारधाराओं से संबंधित लोग थे जिनका प्रभाव संविधान पर देखा जा सकता है।

भारत के संविधान पर औपनिवेशिक शासन के समय पास किए गए अधिनियम का व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है, उदाहरण स्वरूप भारतीय संविधान में स्थापित शासन व्यवस्था पर 1935 के भारत सरकार अधिनियम का प्रभाव है।

संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार अक्टूबर 1946 ई. को किया गया था इसके सदस्यों का चुनाव 1946 ई. के प्रांतीय चुनाव पर आधारित था संविधान सभा में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों द्वारा भेजे गए सदस्यों के साथ-साथ रियासतों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विधि विशेषज्ञों को संविधान सभा में स्थान दिए जाने पर विशेष ध्यान दिया गया था सुप्रसिद्ध विधि वेता बी आर अंबेडकर संविधान सभा के सर्वाधिक प्रभावशाली सदस्यों में से एक थे वह संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे के.के.एम. तथा मद्रास के वकील अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर बी आर अंबेडकर के प्रमुख सहयोगी थे इन दोनों के द्वारा संविधान के प्रारूप पर कई सुझाव पेश किए गए।

प्रेस में होने वाले आलोचना ने भी संविधान के स्वरूप निर्धारण में योगदान दिया।

एन.जी. रंगा तथा जयपाल सिंह जैसे आदिवासी नेताओं ने संविधान का स्वरूप तय करते समय इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया कि संविधान में आदिवासियों की सुरक्षा एवं उन्हें आम आदमियों की दशा में लाने के प्रावधान किए जाएं।

6. दमित समूहों की सुरक्षा के पक्ष में किए गए विभिन्न अदाओं पर चर्चा कीजिए?

उत्तर दलित समूह की सुरक्षा के पक्ष में किए गए विभिन्न दावे निम्नलिखित हैं

1. डॉ.अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से अस्पृश्यता का उन्मूलन करने, तालाबों तथा मंदिरों के दरवाजे सभी के लिए खोले जाने तथा निम्न जाति के लोगों को विधायिका और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिए जाने का समर्थन किया।

2. मध्य प्रांत की दलित जातियों के एक प्रतिनिधि श्री के.जे. खांडेकर ने दलित जातियों के लिए विशेष अधिकारों का दावा किया।

3. छुआछूत (अस्पृश्यता) की समस्या को केवल संरक्षण देने से हल नहीं किया जा सकता बल्कि इसके लिए जाति भेदभाव वाले सामाजिक नियमों कानूनों तथा नैतिक मान्यताओं को समाप्त करना जरूरी है।

4. मद्रास के. जे. नगपा ने कहा था "हम सदा कष्ट उठाते रहे हैं परंतु अब हम और अधिक कष्ट उठाने को तैयार नहीं है हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है हम जानते हैं कि हमें अपनी बात कैसे मनवानी है। "

© JCERT not to be republished

5. दलितों को विधान मंडलों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए।

6. अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात भी कही गई।

7. संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने उस समय के राजनीतिक परिस्थिति और एक मजबूत केंद्र सरकार की जरूरत के बीच क्या संबंध देखा?

उत्तर 1.संविधान सभा के कुछ सदस्यों के अनुसार तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति में एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की बहुत आवश्यकता थी। वे केंद्र सरकार को एक शक्तिशाली रूप में देखना चाहते थे

2. गोपाल स्वामी अय्यर प्रांतों की शक्तियों को बढ़ाए जाने पर केंद्र को अधिक शक्तिशाली देखना चाहते थे उनका विचार था कि केंद्र अधिक मजबूत होना चाहिए।

3. बी. आर. अंबेडकर के विचार से एक मजबूत केंद्र ही देश की शांति तथा व्यवस्था की स्थापना करने में समर्थ हो सकता था अतः उन्होंने घोषणा की कि वह एक शक्तिशाली तथा एकीकृत केंद्र 1935 के अधिनियम में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी अधिक शक्तिशाली केंद्र चाहते हैं। केंद्र के शक्ति में वृद्धि किए जाने के समर्थक सदस्यों का विचार था कि एक शक्तिशाली केंद्रीय सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में समर्थ हो सकता है।

4. औपनिवेशिक शासन द्वारा थोपी गई एकात्मक शासन व्यवस्था पहले से ही विद्यमान थी उस समय में हुई घटनाओं से केंद्र को बढ़ावा मिला।

5. संयुक्त प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश) के एक सदस्य बालकृष्ण शर्मा ने भी एक शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता पर बल दिया उनका तर्क था कि"देश के हित में योजना बनाने के लिए, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटाने के लिए, उचित शासन व्यवस्था की स्थापना करने के लिए, विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा के लिए, एक शब्द शक्तिशाली केंद्र अति आवश्यक है। ”

8. संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला?

उत्तर भारत में शुरुआत से अनेक भाषाएं प्रचलित थी संविधान के 1 शुरुआती सत्र में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य आर.बी. धूलेकर ने इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज उठाई थी कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए, देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है जब संविधान सभा के सामने भाषा का मुद्दा आया इस पर कई महीनों तक बहस होती रही तथा कई बार तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हुई। 1930 के दशक तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह स्वीकार कर लिया था कि हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा को दर्जा दिया जाना चाहिए हिंदुस्तानी की उत्पति हिंदी तथा उर्दू के मेल से हुई थी। यह भारतीय जनता की बहुसंख्यक भाग की भाषा थी विभिन्न संस्कृतियों के आदान-प्रदान से समृद्ध हुई एक साझी भाषा बन गई थी। भाषा का मुद्दा तनाव का कारण बन गया था। महात्मा गांधी को लगता था कि यह बहुत सांस्कृतिक भाषा विभिन्न समुदायों के बीच संचार की आदर्श भाषा हो सकती है वह हिंदू तथा मुसलमानों को उत्तर और दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती है। परंतु 19 वीं सदी के आखिर से एक भाषा के रूप में हिंदुस्तानी धीरे-धीरे बदल रही थी। जैसे-जैसे संप्रदायिक टकराव गहरे होते जा रहे थे हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर जा रहे थे एक तरफ तो फारसी और अरबी मूल के सारे शब्दों को हटाकर हिंदी को संस्कृत निष्ठ बनाने की कोशिश की जा रही थी। दूसरी तरफ उर्दू लगातार फारसी के

© JCERT not to be republished

नजदीक होती जा रही थी। परिणाम स्वरुप भाषा भी धार्मिक पहचान की राजनीति का हिस्सा बन गई। समिति ने राष्ट्रभाषा के मुद्दे पर हिंदी समर्थकों तथा हिंदी विरोधियों के मध्य उत्पन्न हुए गतिरोध को समाप्त करने के लिए एक फार्मूला विकसित कर दिया था समिति का सुझाव था कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की राजकीय भाषा का दर्जा दिया जाए परंतु समिति द्वारा इस फार्मूले की घोषणा नहीं की गई क्योंकि उनका विचार था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए क्रमशः आगे बढ़ना चाहिए।

फार्मूले के अनुसार -1. यह निश्चित किया गया कि पहले 15 वर्षों तक सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखा जाएगा।

2. प्रत्येक प्रांत को अपने सरकारी कार्यों के लिए किसी एक क्षेत्रीय भाषा के चुनाव का अधिकार होगा।

अतः संविधान सभा की भाषा समिति ने विभिन्न पक्षों के भावनाओं को संतुष्ट करने तथा एक समाधान प्रस्तुत करने के उद्देश्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा के स्थान पर राज्य भाषा घोषित किया।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
   - a. राजेंद्र प्रसाद
   - b. जवाहरलाल नेहरू
   - c. डॉ. भीमराव अंबेडकर
   - d. डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा
2. स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे?
   - a. लॉर्ड माउंटबेटन
   - b. लाल बहादुर शास्त्री
   - c. पैथिक लोरेंस
   - d. लॉर्ड कैनिंग
3. भारतीय संविधान कब लागू किया गया?
   - a. 26 नवंबर 1949
   - b. 24 जनवरी 1950

© JCERT not to be republished

JEPC Reference Book for Free Distribution : 2022-23

c. 26 नवंबर 1950

d. 26 जनवरी 1950

4. भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है?

a. डॉ राजेंद्र प्रसाद

b. डॉ. भीमराव अंबेडकर

c. पंडित जवाहरलाल नेहरू

d. डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा

5. भारतीय संविधान सभा के स्थाई अध्यक्ष कौन थे?

a. सुभाष चंद्र बोस

b. डॉ. राजेंद्र प्रसाद

c. बाल गंगाधर तिलक

d. इनमें से कोई नहीं

लघु उत्तरीय प्रश्न

6. संविधान सभा के छः प्रमुख सदस्य कौन कौन थे?

7. केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया गया है?

8. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

9. भारतीय संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ?

10. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है?

बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर

1.c 2.a 3.d 4.b.5.b

© JCERT not to be republished